पत्रांक–योजना बजट–461/2024 /प०व०ज०प०

**बिहार सरकार**

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

**प्रेषक,**

**पूनम कुमारी,**
**सरकार के संयुक्त सचिव**

**सेवा में,**

**महालेखाकार,**
**बिहार, पटना**

पटना–15, दिनांक– /01/2025

**विषय :–** **वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राकृतिक वनों का विकास योजनान्तर्गत गया वन प्रमंडल में मृदा जल संरक्षण "हर खेत सिंचाई का पानी निश्चित योजना" हेतु कुल ₹ 363.38 लाख (तीन करोड़ तिरेसठ लाख अड़तीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति।**

**महाशय,**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राकृतिक वनों का विकास योजनान्तर्गत गया वन प्रमंडल में मृदा जल संरक्षण "हर खेत सिंचाई का पानी निश्चित योजना" हेतु कुल ₹ 363.38 लाख (तीन करोड़ तिरेसठ लाख अड़तीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक–1283 दिनांक–17.12.2024 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–101–वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, मांग संख्या–19, उप शीर्ष–0112–प्राकृतिक वनों का विकास, विपत्र कोड–19–2406011010112, विषय शीर्ष– 0112.27.01–लघु कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया होगें तथा राशि की निकासी उनके संबंद्ध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक–2221 दिनांक–15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।

11. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग–अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण–पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।

13. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।

14. संचिका संख्या–461/2024 के पृष्ठ–03/टि० पर दिनांक–26.12.2024 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक–26.12.2024 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

15. संचिका संख्या–461/2024 के पृष्ठ–04/टि० पर दिनांक–01.01.2025 को विभागीय सचिव की स्वीकृति एवं संचिका के पृष्ठ–05/टि० पर दिनांक–02.01.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

**अनुलग्नक – यथोक्त।**

विश्वासभाजन
ह०/–
(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

**ज्ञापांक–योजना बजट–461/2024–38 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक–03/01/2025**

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.1.25
(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

"हर खेत में सिंचाई का पानी योजना" के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में गया जिला के बांकेबजार प्रखण्ड अन्तर्गत जल संरक्षण योजनाओं के प्राक्कलन का सारांशः–

| क्र0 सं0 | प्रक्षेत्र का नाम | पी0एफ0 का नाम | जी0पी0एस0 लोकेशन | योजना का नाम | कुल प्राक्कलित राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शेरघाटी | लुटआ हरदिया–1 | N-24.3322<br>E-84.3639 | मृदा जल संरक्षण हेतु स्टॉप डैम का निर्माण योजना | 3789845 |
| 2 | | लुटआ हरदिया–2 | N-24.3308<br>E-84.3620 | | 4326064 |
| 3 | | लुटआ असुराईन–1 | N-24.3304<br>E-84.3625 | | 5713859 |
| 4 | | लुटआ असुराईन–2 | N-24.3335<br>E-84.3617 | | 4300128 |
| 5 | | बिकोपुर चेरवा–9 | N-24.4621<br>E-84.6907 | | 2871372 |
| 6 | | बिकोपुर चेरवा–10 | N-24.4621<br>E-84.6908 | | 2001785 |
| 7 | | बिकोपुर चेरवा–11 | N-24.2754<br>E-84.4157 | | 1840355 |
| 8 | | बिकोपुर चेरवा–12 | N-24.2755<br>E-84.4148 | | 1364379 |
| 9 | | अम्बाखार–3 | N-24.2028<br>E-84.4236 | | 4383398 |
| 10 | | अम्बाखार–4 | N-24.2837<br>E-84.4307 | | 1394138 |
| 11 | | बरमोरिया–9 | N-24.4763<br>E-84.7145 | | 1755193 |
| 12 | | बरमोरिया–10 | N-24.2840<br>E-84.4303 | | 1592457 |
| 13 | | बरमोरिया–11 | N-24.4730<br>E-84.7145 | | 1005091 |
| **कुल–** | | | | | **36338064** |

अग्रसारित

वन प्रमंडल पदाधिकारी
गया वन प्रमंडल, गया

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक
गया अंचल, गया

वन संरक्षक, गया अंचल, गया का पत्रांक 1765 दिनांक 9/12/24 तथा व० प्र० प०, गया के पत्रांक 8072 दि० 9/12/24 के द्वारा सक्षम स्तर से प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन के सारांश पर वन संरक्षक, गया अंचल, गया की अनुशंसा के आधार पर सक्षम स्तर से प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर रु0 3,63,38,064/- (तीन करोड़ तिरसठ लाख अड़तीस हजार चौंसठ रु0 मात्र) के लिए तकनीकी अनुमोदन दी जाती है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
पटना